वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 256/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-18.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 18.07.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 18.07.2025, जनपद आजमगढ़

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स आजमगढ़ में क्राइम मीटिंग कर, अपराध की समीक्षा की गई तथा सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

दिनांक 17.07.2025 की रात्रि को ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स आजमगढ़ में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारियों एवं शाखा प्रभारियों*** के साथ अपराध समीक्षा गोष्ठी की गयी। मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक ने निम्नलिखित बिन्दुओं की समीक्षा की गयी।

➡चोरी व नकबजनी की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु पिकेट गस्त एवं प्रभावित क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

➡चोरी व नकबजनी की घटनाओ के शत प्रतिशत अनावरण एवं संपत्ति की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया।

➡गम्भीर घटनाओं में राजपत्रित अधिकारी 24 घण्टे में घटना स्थल का निरीक्षण अवश्य करे।

➡दो सम्प्रदायों के मध्य घटित छोटी से छोटी घटना का तत्काल संज्ञान लेकर विधिक समाधान कराया जाये।

➡थाना परिसर में खडे वाहनों का अविलम्ब निस्तारण कराया जाय।

➡थाना परिसरो में नियमित रूप से साफ सफाई करायी जाये।

➡माननीय न्यायालय से समन्वय स्थापित कर मुकदमो से सम्बन्धित निर्णयिक मालों का निस्तारण कराया जाये।

➡IGRS के प्रार्थना पत्रो का समयवद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाये।

➡थानों पर आने वाले फरियादिओं की समस्याओं का यथाशीघ्र विधिक निस्तारण कराये जाये।

➡स्थान व समय बदल- बदल कर वाहन चेकिंग करायी जाये तथा नियम विरूद्ध पाये जाने पर यथोचित कार्यवाही की जाये।

➡महिलाओं की समस्याओ को शीर्ष प्रथामिकता प्रदान करते हुये शीघ्र निस्तारित कराया जाये।

➡भ्रष्टाचार की जीरो टार्लेंस नीति का पालन कराया जाये। अधिक संख्या में लंबित विवेचनाओं का क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अर्दली रूम का आयोजन कर यथाशीघ्र निस्तारण कराया जाये।

➡माफियाओं के विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाये तथा गैंगस्टर एक्ट के अपराध से अर्जित संपत्तियों का नियमानुसार पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जाये।

➡टाप-टेन अपराधियों के विरूद्ध आपराधिक सक्रियता के आधार प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।

➡साइबर फ्राड के सम्बन्ध में जीआरपी व आरपीएफ से समन्वय स्थापित कर निस्तारण किया जाय।

➡डीजीपी महोदय द्वारा 10 बिन्दु के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश की चर्चा की गयी।

➡संवेदनशील स्थानों पर समय बदल-बदल कर चेकिंग का अभियान चलाया जाय।

➡साइबर अपराधों के शमन हेतु 1930 हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा अन्य प्राविधानों के बारे में अवगत कराया गया।

➡महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु महिला बीट अधिकारी द्वारा अपने-अपने बीट क्षेत्रों में लगातार भ्रमण हेतु निर्देशित किया गया।

➡उक्त गोष्ठी में ***अपर पुलिस अधीक्षक नगर मुधवन कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी एवं अन्य अधिकारीगण*** उपस्थित रहे।

01.थाना-फूलपुरः-युवती के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 06-01-2025 को वादी द्वारा तहरीर दिया गया कि वादी की लडकी को अभियुक्त पंकज गौड पुत्र लालचन्द सा0 भदसार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाना जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 05/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीडिता की बरामदगी, बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 18.07.2025 को उ0नि0 रज्जन द्विवेदी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त पंकज गौड पुत्र लालचन्द सा0 भदसार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को खान्जहापुर से **समय करीब 10-05 बजे** गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. पंकज गौड पुत्र लालचन्द सा0 भदसार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-05/25 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस ¾(2) पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

01. उ0नि0 रज्जन द्विवेदी थाना फूलपुर आजमगढ़।
02. का0अनुपम सिंह थाना फूलपुर आजमगढ़।
03. का0 इरशाद अंसारी थाना फूलपुर आजमगढ़।